न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 103 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. रामाराम पुत्र श्री पोकररामजी, 02. लादूराम पुत्र श्री पोकरराम 03. बालकराम पुत्र श्री पोकरराम 04. बालकराम पुत्र श्री कानाराम जातियान भील निवासीगण ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से राजकीय पैरोकार ।

आदेश दिनांक :– 30.06.2021

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 294 कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं जिस पर बहैसियत सहखातेदार के प्रार्थीगण मालिक काबिज हैं । प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं जिसके खसरा संख्या 296 हैं प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 294 की कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि की राजस्व नक्शें तथा सेटलमेंट के नक्षें अनुसार स्थायी मुटाम करवाना चाहते हैं ताकि कटाणी रास्ते की भूमि जिसके खसरा संख्या 296 हैं उक्त रास्ते की भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं हो लेकिन राजस्व नक्षें तथा सेटलमेंट अनुसार प्रार्थीगण के खसरें की सीमाओं का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब लूणी के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब लूणी के आदेष से टीम गठित की जाकर दिनांक 18.03.2021 को सीमाज्ञान करवा दिया गया । प्रार्थीगण ने उक्त गठित टीम को सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया ताकि कटाणी रास्ते की भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो लेकिन उक्त टीम द्वारा पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया एवं कहा गया कि यदि आपको अपने खसरें की पत्थरगढ़ी करवानी हैं तो सक्षम न्यायालय से पत्थरगढ़ी हेतु आदेष पारित करवाना होगा । सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021 की प्रमाणित प्रति पत्रावली में प्रस्तुत हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी प्रार्थी विवादग्रस्त खसरें की कृषि भूमि के खातेदार हैं तथा श्रीमान तहसीलदार जी के आदेश से सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका हैं । चूंकी प्रार्थीगण अपने खसरें की राजस्व नक्शें अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो कि न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी के खसरा संख्या 294 की कुल रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि की राजस्व नक्शें/सेटलमेंट नक्शे व सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 18.03.2021 अनुसार पत्थरगढ़ी की जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी